न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 66/2021

शीर्षक
1 घीसी देवी पत्नि अर्जुन लाल जाति बलाई निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 26/10/2021

आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प देवन में प्रार्थीया घासी देवी पत्नि अर्जुन लाल जाति बलाई निवासी देवन ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीया के नाम ग्राम देवन के आराजी खसरा नम्बर 1154 रकबा 1.08 है0, ख0नं0 2576 रकबा 1.83 है0 कुल किता 2 रकबा 2.91 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम धूणीलाल दर्ज है। प्रार्थीया ने अपने दावे के समर्थन में शपथ पत्र तथा रिकार्ड दस्तावेजात आधार कार्ड पेश किये । लेकिन प्रार्थीया ने पुर्नविवाह अर्जुनलाल पुत्र नानगराम जाति बलाई निवासी देवन के साथ किया है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम धूणीलाल दर्ज होने के कारण तथा अन्य दस्तावेजात में पति का नाम अर्जुनलाल दर्ज होने के कारण सरकारी लाभकारी योजनाओं तथा बैंक आदि से लोन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रार्थीया ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि में पति का नाम धूणीलाल के स्थान पर अर्जुनलाल करवाने हेतु निवेदन किया ।

प्रकरण में हमारे द्वारा मजमे आम में जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थीया की शादी धूणीलाल के साथ हुई थी तथा धूणीलाल की मृत्यु दिनांक 27.8.1974 को हो चुकी है, प्रार्थीया व धूणीलाल के कोई जायन्दा सन्तान नहीं हुई है तथा धूणीलाल के माता पिता का भी देहान्त हो चुका है। धूणीलाल के कोई अन्य जायन्दा सन्तान नहीं होने से उक्त विवादित आराजी प्रार्थीया के नाम विरासत के रूप में दर्ज हुई है लेकिन प्रार्थीया के द्वारा इसी ग्राम देवन में अर्जुनलाल पुत्र नानगराम के साथ पुर्नविवाह करने पर उसके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में नाम घीसी पत्नि अर्जुन होने से भूमि रहन व अन्य सरकारी लाभकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रशासन गावो के संग अभियान में ही उपस्थित आम जन से मजमे आम पूछताछ की गई तथा सरपंच ग्राम पंचायत देवन से प्रमाण पत्र पेश किया गया कि प्रार्थीया की पहले शादी धूणीलाल के साथ हुई थी तथा उसकी मृत्यु होने पर इसी ग्राम देवन में अर्जुन लाल के साथ पुर्नविवाह कर लिया है । उपस्थित आमजन ने यह भी जाहिर किया कि प्रार्थीया व उसके पूर्व पति धूणीलाल के कोई जायन्दा सन्तान नहीं हुई है तथा न ही धूणीलाल के आगे पीछे कोई व्यक्ति है एक मात्र उसकी वारिस घीसीदेवी ही है । यदि घीसीदेवी की भूमि में इसके पति धूणीलाल के स्थान पर वर्तमान जीवित पति अर्जुनलाल का नाम दर्ज किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

हमने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तथा पाया गया कि विवादित आराजी ख0नं 1154 व 2576 राजस्व रिकार्ड में घीसीदेवी पत्नि धूणीलाल जाति बलाई के नाम ग्राम देवन की जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया/वादिया के द्वारा उसके पति धूणीलाल पुत्र सुगाराम जाति बुनकर की मृत्यु दिनांक 27.8.1974 को हो चुकी है तथा उक्त विवादित आराजी वादिया के नाम विरासत के रूप में प्राप्त होना जाहिर होता है । वादिया के द्वारा उसी ग्राम में पुर्नविवाह अर्जुनलाल पुत्र नानगराम के साथ किया जाना सभी उपस्थित आम जन के द्वारा जाहिर किया है। विवादित आराजी में वादिया के नाम के आगे पति का नाम पूर्व पति धूणीलाल का नाम दर्ज होने के कारण तथा वादिया के अन्य दस्तावेजात में अपने नाम के आगे वर्तमान पति अर्जुनलाल का नाम दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात में पति का नाम अलग अलग होने से बैक ऋण आदि प्राप्त करने तथा अन्य भूमि संबंधी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। चूंकि प्रकरण में यह भी मजमें आम में जानकारी करने पर पाया गया कि धूणीलाल के वादिया के अलावा और कोई वारिस —

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उत्तराधिकारी नहीं है तथा इसके किसी को कोई आपत्ति नहीं होना भी जाहिर किया है । सरपंच ग्राम पंचायत देवन व उपस्थित आम जन ने भी वादिया के पति का नाम वर्तमान पति अर्जुनलाल दर्ज करने की सहमति दी है । वादिया के बयान भी कलमबद्व किये गये जिसमें भी उपरोक्त बाते स्वीकार करना जाहिर करते हुए यह भी स्वीकार किया है कि यदि उपरोक्त नाम दुरूस्ती किये जाने से धूणीलाल के यदि कोई उत्तराधिकारी होगे तो उसकी में स्वंय जिम्मेदार रहूँगी । वादिया अपने नाम के आगे पति का नाम धूणीलाल के बजाय अर्जुनलाल दर्ज करवाना चाहती है जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें । हमारे द्वारा उपस्थित आमजन से मजमें आम में एलान किया गया कि वादिया के पति का नाम धूणीलाल के बजाय अर्जुनलाल किये जाने में किसी को कोई आपत्ति हो तो अवगत करावे या धूणीलाल के और भी कोई वारिस हो तो अवगत करावे लेकिन उपस्थित आम जन ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए वादिया के पति का नाम धूणीलाल के बजाय अर्जुनलाल करने की सहमति प्रदान की । इस प्रकार हम उपरोक्त विवेचन तथा मजमे आम में प्राप्त जानकारी से आज प्रशासन गांवो के संग अभियान में दावा वादिया के हक में डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीया के हक में मुताबिक आमजन की जानकारी के अनुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1154 रकबा 1.08 है0 खसरा नम्बर 2576 रकबा 1.83 है0 कुल किता 2 रकबा 2.91 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा में वादिया के नाम के आगे अंकित पति धूणीलाल का नाम हजफ कर घीसीदेवी पत्नि अर्जुनलाल जाति बलाई निवासी देवन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश जारी हो। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावो के संग अभियान देवन में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 66/2021

शीर्षक

1 घीसी देवी पत्नि अर्जुन लाल जाति बलाई निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 26/10/2021

अतः दावा वादीया के हक में मुताबिक आमजन की जानकारी के अनुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1154 रकबा 1.08 है0 खसरा नम्बर 2576 रकबा 1.83 है0 कुल किता 2 रकबा 2. 91 है0 वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा में वादिया के नाम के आगे अंकित पति धूणीलाल का नाम हजफ कर घीसीदेवी पत्नि अर्जुनलाल जाति बलाई निवासी देवन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश जारी हो। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावो के संग अभियान देवन में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	